FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

A3/1

अज अदालत कलक्टर, मुकाम नागौर

अपीलान्ट		रेस्पोडेन्ट
सज्जनसिंह पुत्र दयालसिंह जाति राजपूत निवासी मालगांव तहसील व जिला नागौर	बनाम	राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार नागौर।

किस्म मुकदमा राजस्व अपील संख्या 158 सन् 2019 11/2/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
24/9/19	वकील अपीलांट ने यह राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय नायब तहसीलदार नागौर द्वारा मुकदमा संख्या 02/2019 **सरकार बनाम सज्जनसिंह**, अन्तर्गत धारा 91 आरएलआर एक्ट 1956 प्रकरण में पारित निर्णय **दिनांक 27.08.2019** के विरूद्व प्रस्तुत की है। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन तलब हो। अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब होकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 14.10.2019 को पेश हो। जिला कलक्टर,नागौर	
26.9.19	हस्तगत अपील के संबंध में प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु आज नियत था, जिसमें वकील अपीलान्ट द्वारा हस्तगत प्रकरण में मौजा मालगांव के खसरा नम्बर 325 गै.मु. गोचर व खसरा नम्बर 270 गै.मु. रास्ते पर अतिक्रमण के संबंध में तहसीलदार नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 02/2019 सरकार बनाम सज्जनसिंह दर्ज कर दिनांक 27.08.2019 को निर्णय पारित कर जुर्माना व सिविल कारावास का निर्णय पारित किया है, जिसके विरूद्व प्रार्थी द्वारा अपील तथा यह स्थगन प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया है। उक्त निर्णय दिनांक 27.08.2019 में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर ने संवत 2075 में भी प्रार्थी का उपरोक्त खसरो की भूमि पर अतिक्रमण होना बताते हुए पश्चातवृति अतिक्रमण मानकर सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। जबकि संवत् 2075 में बताये गये उक्त अतिक्रमण के संबंध में न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर नागौर में मुकदमा संख्या 6/19 सज्जनसिंह बनाम सरकार विचाराधीन है, जिसमे न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर नागौर द्वारा अपने पत्रांक 204 दिनांक 21.02.2019 से नायब तहसीलदार नागौर को सिविल कारावास संबंधित आदेश की क्रियान्विति आगामी पेशी तक स्थगित की जाने के निर्देश भी दिये जाने का कथन किया है। वकील प्रार्थी के कथनानुसार हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त खसरान की भूमि के संबंध में पूर्व से ही प्रकरण न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर में विचाराधीन होने से इस अपील से संबंधित स्थगन प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर के न्यायालय में अंतरित किया गया है। अतः पत्रावली आज पेशी पर ली गई। उक्त तथ्यों के मध्यनजर हस्तगत अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर को सुनवाई हेतु अंतरित की जाती है। इस अपील की मूल पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर को भिजवाई जावे तथा वकील अपीलान्ट को न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर नागौर में तारीख पेशी 07.10.2019 को उपस्थित होने हेतु सूचित किया जावे। बाद आवश्यक कार्यवाही फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर नागौर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.05.28 12:03:08 IST
Reason: SelfAttested